अध्याय-06

अस्पृश्यता : एक अभिशाप

डॉ० रेखा कुमारी
एम०एससी० (रसायन विज्ञान), एम०एड०, एम०फिल० (शिक्षाशास्त्र)
नेट (शिक्षाशास्त्र), पीएच०डी० (शिक्षाशास्त्र)
रिसोर्स पर्सन
गोवर्नमेन्ट कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
नारनौल (हरियाणा)

परिचय

अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है, न छूना। इसे सामान्य भाषा में **"छूआछूत"** की समस्या भी कहते हैं। अस्पृश्यता का अर्थ है, किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को, सीधे छूने से बचना या रोकना। ये मान्यता है, कि अस्पृश्य या अछूत लोगों से छूने, यहाँ तक, कि उनकी परछाई भी पड़ने से, उच्च जाति के लोग **"अशुद्ध"** हो जाते हैं, और अपनी शुद्धता वापस पाने के लिये, उन्हें पवित्र गंगा–जल में स्नान करना पड़ता है। भारत में अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, एक दंडनीय अपराध घोषित कर किया गया है। अनुच्छेद 12 निम्नलिखित है, **"अस्पृश्यता"** का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना, अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र **"मानव–जाति से प्यार"** ऊँच–नीच की भावना रूपी हवा के झोंके से, यत्र–तत्र बिखर गया। ऊँच–नीच का भाव यह रोग है, जो समाज में धीरे धीरे पनपता है, और सुसभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की नींव को हिला देता है। परिणामस्वरूप मानव–समाज के समूल नष्ट होने की आशंका रहती है। अतः अस्पृश्यता मानव–समाज के लिए एक भीषण कलंक है। अस्पृश्यता की उत्पत्ति और उसकी ऐतिहासिकता पर, अब भी बहस होती है। भीमराव आम्बेडकर का मानना था, कि अस्पृश्यता कम से कम 400 ई. से है। आज संसार के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, अथवा आर्थिक, धार्मिक हो या सामाजिक, सर्वत्र अस्पृश्यता के दर्शन किए जा सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित और संपन्न देश हैं, किंतु अस्पृश्यता के रोग में, वे भी ग्रसित हैं। अमेरिका जैसे महान राष्ट्र में, काले एवं गोरें लोगों का भेदभाव, आज भी बना हुआ है।

अस्पृश्यता के कारण

समाजशास्त्रियों के अनुसार – **"अस्पृश्यता की जननी ऊँच–नीच की भावना है"**।

अस्पृश्यता के तीन कारण है :–

- **प्रजातीय भावना**– अस्पृश्यता का सर्वप्रथम कारण, प्रजातीय भावना का विकास है। कुछ प्रजातियाँ अपने को दूसरे प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती हैं। अमेरिकी गोरे, नीग्रो जाति के लोग को हेय मानते हैं, इसके अतिरिक्त विजेता प्रजातियाँ पराजित जातियों को, हीन मानती है।
- **धार्मिक भावना**–धर्म में पवित्रता एवं शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः निम्न व्यवसाय वालों को, हीन दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय समाज में इन्हीं कारणों से, सफाई का काम करने वालों तथा कर्मचारों आदि को, अस्पृश्य समझा जाता था।
- **सामाजिक कारण** – प्रजातीय एवं धार्मिक कारणों के अतिरिक्त, अस्पृश्यता के सामाजिक कारण भी हैं। समाज में प्रचलित रूढियों और कुप्रथाओं के कारण भी, समाज में वर्गभेद उत्पन्न होते हैं। यह वर्गभेद अस्पृश्यता के विकास में, सहायक सिद्ध होते हैं।

समय के परिवर्तन के साथ मनुष्यों के विचारों में भी परिवर्तन हुआ। जैसे–जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई, समाज आर्थिक रूप से, विकसित

होता गया। समाज में सर्वत्र पैसे का बोलबाला हो गया। आज मानव की सामाजिक स्थिति, पैसे से आँकी जाती है। आज वही श्रेष्ठ है, जो धनी है। अतः सामाजिक स्थिति जन्मजात न होकर, अर्जित हो गई। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ–साथ, अस्पृश्यता का भयानक वृक्ष डगमगाने लगा है। शिक्षा का उद्देश्य है, समाज में प्रचलित रूढियों, धर्मांधता, संकीर्णता की भावना को दूर करना, जिससे अस्पृश्यता स्वयं ही दूर होगी। जब मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन होकर, उसमें विश्वबंधुत्व की भावना का विकास होगा, तो उच्च एवं निम्न वर्गों के मध्य का अंतर स्वयं समाप्त हो जायेगा।

जाति–प्रथा का उन्मूलन

हिंदू समाज में विद्यमान जाति–उपजाति प्रथा को समाप्त करके, एक भारतीय जाति का विकास करने पर, अस्पृश्यता के इस कलंक से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

राजकीय पदों पर नियुक्ति

सरकार इस विषय में विशेष जागरूक है। विभिन्न राजकीय पदों पर अनुसूचित जाति के पढे–लिखे युवकों की नियुक्ति का प्रतिशत निश्चित कर दिया गया है। इससे उसमें आत्मगौरव तथा नवीन चेतना का संचार हुआ है।

आर्थिक विकास

हरिजनों को कृषि तथा गृह–उद्योग के लिए जमीन, हल, बैल आदि तथा अन्य आर्थिक मदद राज्य की ओर से मिलनी चाहिए। हरिजनों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए सूदखोरी की रोकथाम के लिए कानून बनाने चाहिए, जिससे हरिजनों की रक्षा हो सके। समाज में अस्पृश्यता के दोषों को प्रचार द्वारा दूर करना चाहिये जिससे अस्पृश्यों को मानवीय अधिकार प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

अस्पृश्यता

अस्पृश्यता या छूआछूत परम्परागत हिन्दू समाज से जुड़ी सामाजिक बुराई और एक गंभीर खतरा है। ये बहुत से समाज सुधारकों के विभिन्न प्रयासों के बाद भी जैसे डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा निर्मित संविधान के **अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के बावजूद**, ये अति प्राचीन समय से प्रचलित प्रथा आज भी प्रचलन में है।

अस्पृश्यता क्या है ?

अस्पृश्यता या छूआछूत एक सामान्य शब्द है, जिसे अभ्यास द्वारा समझा जा सकता है, जहाँ एक विशेष जाति या वर्ग के व्यक्ति को निम्न जाति

में, जन्म लेने या उस निचली जाति समूह से संबंध रखने के कारण, उस समूह को निचले स्तर के कार्यों को कराकर भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिये, तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च जाति के लोग भंगी के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। ये मान्यता है, कि अस्पृश्य या अछूत लोगों से छूने, यहाँ तक, कि उनकी परछाई भी पड़ने से, उच्च जाति के लोग अशुद्ध हो जाते है, और अपनी शुद्धता वापस पाने के लिये, उन्हें पवित्र गंगा–जल में स्नान करना पड़ता है।

भारत में अस्पृश्य कौन है ?

हिन्दूओं की परंपरागत प्राचीन **"वर्ण–व्यवस्था"** के अनुसार, एक व्यक्ति का जन्म कर्म और **"शुद्धता"** के आधार पर, चारों में से किसी एक जाति में होता है। जिनका जन्म ब्राह्मण वर्ण में होता है, वो पुजारी या शिक्षक होता है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला शासक या सैनिक, वैश्य वर्ण में जन्म लेने वाला व्यापारी और शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला मजदूर होता है। अछूत सचमुच बहिष्कृत जाति है। वो किसी भी हिन्दूओं की परंपरागत **"वर्ण व्यवस्था"** में सीधे रुप से गिनती में नहीं आते। डॉ० भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, अछूत पूरी तरह से नया वर्ग है, उदाहरण के तौर पर पहले से स्थापित चार वर्णों से अलग, पांचवाँ नया वर्ण है। इस प्रकार, अछूत हिन्दूओं की जाति व्यवस्था में पहचाने नहीं जाते।

हाँलाकि, ऐतिहासिक रुप से निचले स्तर के व्यक्ति, जो घटिया निम्न स्तर के नौकर–चाकर वाले कार्य करते थे, अपराधी, व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित होते थे, वो समाज से बाहर रहते थे, उन्हें ही सभ्य कहे जाने वाले नागरिकों द्वारा अछूत माना जाता था। उस समय उस व्यक्ति को, समाज से निष्काषित इस आधार पर किया जाता था, कि वो समाज के अन्य लोगों के लिये हानिकारक है, उसकी बीमारी छूने से किसी को भी हो सकती है और उस समय में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से उसे समाज से बाहर अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये रखा जाता था। अस्पृश्यता दंड के रुप में भी दी जाने वाली प्रथा थी, जो उन व्यक्तियों को दी जाती थी, जो समाज के बनाये हुये, नियमों को तोड़कर सामाजिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते थे।

दलित कौन है ?

दबी हुई जाति, हरिजनों आदि को अस्पृश्य या अछूत के रुप में जाना जाता है, लेकिन आज उन्हें दलित कहा जाता है। आधुनिक समय में, दलित

एक व्यक्ति के स्तर की अपेक्षा, उसकी जाति को संबोधित किया जाता है। ऐसा उन व्यक्तियों को कहा जाता है, जो अस्पृश्य कहे जाने वाले, घटिया काम करने वाले व्यक्ति के घर या उससे संबंधित किसी भी सदस्य के घर में पैदा होते है। ऐसा सिर्फ इसलिये कहा, या किया जाता है, कि उनके परिवार का सदस्य अछूत था, तो पंपरागत रुप से, उससे जुड़ा हर व्यक्ति या समुदाय भी उसी श्रेणी में आयेगा। वो अपवित्र और दूषित माने जाते है, जिसके कारण शारीरिक और सामाजिकता से, बाकि के समाज से, निष्काषित करके, पृथक या अलग रखे जाते है।

आजकल अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को **"दलित"** माना जाता है, और उन्हें समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभावों का विषय बनाया जाता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति जैसे चमार, पासी और भंगी को दलित के रुप में माना जाता है, ये लोग सामान्यतः निकृष्ट कामों जैसे गंदगी साफ करना, चमड़े से चीजें बनाने का काम करना, झाड़ू लगाना, कूड़े या कचरे से, काम की चीजें खोजकर बेचना आदि को करते है।

दलित या अस्पृश्यों के साथ भेदभाव

नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमैन राइट्स के अनुसार, भारत में दलितों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के भेदभावों को किया जाता है, जो निम्न है :–

- अन्य जाति के लोगों के साथ भोजन करना निषेध।
- किसी अन्य जाति के सदस्य के साथ शादी करना निषेध।
- गाँवों में चाय के ठेलो पर, दलितों के लिये चाय के अलग गिलास।
- होटलों में बैठने की व्यवस्था में, भेदभाव और खाने के लिये अलग बर्तन।
- गाँवों में त्यौहारों और कार्यक्रमों में बैठने और खाने की अलग व्यवस्था।
- मन्दिरों में प्रवेश पर निषेध।
- शासित जाति के व्यक्तियों के सामने, पैरों में चप्पल पहनने और छाता लगाने पर निषेध।
- गाँवों में सार्वजनिक रास्ते पर चलना निषेध।
- अलग शमशान।
- स्कूलों में दलित बच्चों के लिये, अलग बैठने की व्यवस्था।

- अपने कामों को करने से मना कर देने पर, शासित जातियों द्वारा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन

भारत को 100 वर्षों के लम्बे दर्दनाक संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को, आजादी मिली। ये संघर्ष केवल विदेशी ब्रिटिश शासन के ही खिलाफ नहीं था, बल्कि सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराईयों जैसे छूआछूत के खिलाफ भी था। आजादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं ने, संविधान का निर्माण करते समय निर्धारित किया, कि समाज में फैली बुराईयों के उन्मूलन के संदर्भ में और पिछड़ी जातियों के उत्थान आदि के लिये, संविधान में प्रावधान किया जाये। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये, अनुच्छेद 17 को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें निम्न प्रावधान किये गये थे :–

"अस्पृश्यता" का उन्मूलन हो और किसी भी तरह से इसे व्यवहार में लाने की अनुमति नहीं है। **"अस्पृश्यता"** के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव को, अपराध मानते हुये कानून के अन्तर्गत दंड दिया जायेगा। इस प्रकार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करते हुये, किसी भी रुप में अपनाने की अनुमति नहीं देता। साथ ही, ये इसे एक अपराध मानते हुये, संसद में बनाये गये कानूनों के अन्तर्गत दंड का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 को संविधान में मान्यता प्रदान करने के लिये, संसद में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। ये अधिनियम हर तरह से भेदभावों को करने पर, दंड का प्रावधान करता है, यद्यपि इसके लिये निर्धारित किया गया दंड, कम होने के साथ ही इसका वास्तविकता में बहुत कम ही प्रयोग किया जाता है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन में, बहुत की कमियाँ और बचने के तरीके थे, जिसके कारण सरकार ने इसमें 1976 में संशोधन करके, इसके दंड को और भी अधिक कठोर कर दिया। ये अधिनियम नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम में परिवर्तित कर दिया। हाँलाकि, अस्पृश्यता का खतरा लगातार बना हुआ है और दलितों के साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है, उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति सोचनीय है, उन्हें बहुत से नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है, और इसके साथ ही, वो अनेक अपराधों, अपमान और तिरस्कार के विषय है।

इसके साथ ही समाज के दलित वर्ग के साथ हिंसा को रोकने के लिये, संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 को पारित किया। ये अधिनियम दलितों के साथ भेदभाव, व हिंसा को रोकने के लिये और भी अधिक विस्तृत व दंडात्मक साधन उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम

का मुख्य उद्देश्य, दलितों को भारतीय समाज में सम्मान के साथ शामिल करना था। ये ऊपर वर्णित अधिनियम अस्पृश्यों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिये, अच्छे लक्ष्य और सकारात्मक उद्देश्य के साथ बनाये गये थे, लेकिन वास्तविकता में, ये अधिनियम उम्मीदों पर खरे उतरने में फेल हुये है।

अस्पृश्यता वर्तमान परिदृश्य

हमारे समाज में जाति और जन्म की श्रेष्ठा की भावना, आज भी उपस्थित है। हम अपने जीवन में प्रतिदिन चारों तरफ के वातावरण में, विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बों में छूआछूत के व्यवहार का अनुभव करते है। यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी, कूड़े बीनने वालों से आज भी अमानवता का व्यवहार किया जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 3 जनवरी 2014 की सूचना के अनुसार, कर्नाटक पुलिस ने 4 चाय विक्रेताओं को छूआ–छूत को व्यवहार में लाने के लिये गिरफ्तार किया, वो हिन्दू और एस.सी. एवं एस.टी. जाति के लोगों को चाय देते समय, अलग–अलग तरह के कपों का प्रयोग करते थे। ये घटना दिखाती है, कि ये बुराई हिन्दू समाज में इतनी गहराई तक पहुँची हुई है, कि आजादी के 67 साल के बाद भी अलग–अलग रुपों में उपस्थित है। हाँलाकि, ये कहा जाता है, कि चीजें धीरे धीरे बदलती है, आधुनिक युवाओं की सोच में भी परिवर्तन हुआ है। आज के युवाओं की आधुनिक शिक्षा और वैश्विकरण के परिदृश्य ने, सामाजिक स्तर पर समानता के विभिन्न आयामों पर सोच को बदला है, और न कि धार्मिक और परंपरागत दृष्टिकोण से। उम्मीद यही है, कि अस्पृश्यता या छूआछूत की दुष्ट प्रथा, समाज से बहुत जल्द खत्म हो जायेगी, जिसके बाद हमारा देश सामाजिक समानता और भाईचारे के नये युग का प्रतिनिधिकर्ता होगा, जो गाँधी और अंबेडकर का, वो सच्चा भारत होगा, जिसकी कल्पना उन्होंने आजादी और संविधान का निर्माण करने के समय की थी।

छुआछूत एक अभिशाप

छुआछूत का अर्थ होता है, जो स्पर्श करने योग्य न हो। जब किसी व्यक्ति के समूह या समुदाय को अस्पर्शनीय माना जाता है, और उसके हाथ की छुई हुई वस्तु को कोई नहीं खाता, उसे छुआछूत कहते हैं। उन लोगों के साथ कोई भी मिलजुल कर नहीं रहता, और न ही उनके साथ कोई खाना खाता है। जिन लोगों से निचली जाति का काम करवाया जाता है, उन्हें अछूत कहा जाता है। प्राचीनकाल में महाराजाओं के द्वारा, किसी व्यक्ति के व्यवसाय को देखकर ही, उसके धर्म की स्थापना की गई थी। उस समय पर हर किसी

ने अपने धर्म को खुद चुना था। ब्राह्मण लोगों को शिक्षा देते थे, क्षत्रिय देश और समाज की रक्षा किया करते थे। वैश्यों का काम व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना और शूद्रों का काम ऊपर की तीन जातियों की सेवा करना था। लेकिन कालांतर में, ये विभाजन रूढ़ हो गया था। एक वेद में भी कहा गया है, कि मैं एक शिल्पी हूँ। मेरे पिता वैश्य हैं, और मेरी माँ उपले थापने का काम करती हैं। प्राचीनकाल में एक ही परिवार के लोग, अलग–अलग काम करते थे, फिर भी वे खुशी से रहते थे। उन लोगों में ऊँच–नीच का कोई भेदभाव नहीं था।

भारत के अछूत लोग

हमारे भारत में हिंदू वर्ण–व्यवस्था के अनुसार चार जातियाँ हैं– **ब्राह्मण, क्षत्रिय, सैनिक, शुद्र** आदि। जो लोग हरिजन जाति, मतलब दबी हुई, जाति के होते हैं, उन्हें अछूत कहते हैं। अछूत लोगों को हिंदू की वर्ण–व्यवस्था की जातियों में नहीं गिना जाता हैं। अछूत लोगों को बहिष्कृत जाति का व्यक्ति समझा जाता है। अछूतों को हिंदू की जाति व्यवस्था में नहीं गिना जाता है। अछूत वर्ण एक अलग पांचवाँ वर्ण स्थापित किया गया है। प्राचीनकाल में जो लोग घटिया स्तर का काम करते थे, या निचली जाति के लोग, जो नौकरों का काम करते थे, वे अपराधी होते थे, और जिन लोगों को छूत की बीमारी होती थी, वे लोग देश से बाहर ही रहते थे। जो लोग सभ्य होते थे, वो लोग उन लोगों को ही अछूत कहते थे। ऐसे लोगों से दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि यह बीमारी छूने से होती थी। उस समय पर छूत बीमारी वाले लोग, दूसरे लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होते थे।

उस समय इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, इसी वजह से छूत लोगों को दूसरे लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, उस राज्य से दूर भेज दिया जाता था, ताकि यह बीमारी किसी और को न हो। छुआछूत एक तरह का दंड होता था, जो उन लोगों को दिया जाता था, जो व्यक्ति राज्य के बनाए हुए कानूनों को तोड़ता था, और समाज की व्यवस्था में एक बाधा पैदा करता था। जो लोग अछूत लोगों से संबंध रखते थे, उन्हें दलित कहा जाता है। उन्हें इस नाम से इसलिए बुलाया जाता है, क्योंकि जो लोग अछूत लोगों से संबंध रखते थे, उन्हें भी अछूत ही माना जाता है। सफाई, चमडा, स्वच्छता, मृत शरीरों को हटाने वाले लोगों को अछूत माना जाता है। छुआछूत को दूर करने के प्रयत्न, छुआछूत को एक बुराई के रूप में समाज ने स्वीकार किया है, जिसको दूर करने के लिए प्राचीनकाल से ही कोशिशें की जा रही हैं। बहुत

से महापुरुषों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन फिर भी यह समस्या वैसी की वैसी बनी रही। महात्मा बुद्ध ने इसके खिलाफ सशक्त आवाज उठाई थी।

रामायण को दिखाकर, इस भेदभाव को समाप्त करने की भी कोशिश की गई। उन्हें श्री राम के गुहराज, शबरी और भीलों के संग मेल–मिलाप की बातें बताई गयीं। सबसे पहले तो दयानंद जी ने, छुआछूत को खत्म करने की जिम्मेदारी ली थी। एक तरफ तो उन्होंने, मूल हिंदुओं को हिंदू बनाया था, दूसरी तरफ उन्हें अछूत कहकर, गले से लगाया था। आर्य समाज में भी, अछूतोद्धार शब्द का प्रयोग किया गया था। वे खुद जाकर हरिजन बस्ती में रहे थे, जिसका अर्थ होता है, भगवान का प्यारा व्यक्ति। हरिजन में रहने वाले लोगों के लिए, भीम राव अंबेडकर ने, बहुत ही उत्थान काम किया था, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।

युवाओं के विचारों को बदला जा रहा है, और सभी चीजों में धीरे–धीरे परिवर्तन किये जा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा और वैश्वीकरण से भी, युवाओं की सोच को बदला जा रहा है, इस धार्मिक और परंपरागत दृष्टिकोण से सोच को बदला नहीं गया है। जब संविधान का निर्माण किया गया था, तब यह निर्धारित किया गया था, कि समाज में फैली बुराईयों का उन्मूलन करने के लिए, पिछड़ी जातियों के उत्थान में संविधान में प्रावधान किये जायेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, संविधान में अनुच्छेद 17 बनाया गया था। अछूतों के साथ भेदभाव, भारत के दलितों के साथ, एन.सी.डी.एच.आर. के अनुसार, बहुत भेदभाव किया जाता है। अछूत लोगों के साथ कोई भी भोजन नहीं कर सकता। कोई भी किसी अलग जाति के सदस्य से, शादी नहीं कर सकता। गाँवों में चाय की दुकानों पर, अछूत लोगों के लिए अलग बर्तन होते हैं।

अछूत लोग मंदिरों में नही जा सकते। अछूत लोगों को सार्वजनिक रास्ते पर चलना मना होता है। अछूत बच्चों को स्कूलों में अलग बैठाया जाता है। अछूतों के लिए होटलों मे बैठने के लिए और खाने के लिए अलग बर्तनों, की व्यवस्था होती है। अछूतों के लिए गाँवों के कार्यक्रम या त्यौहारों मे बैठने और खाने के लिए अलग व्यवस्था होती है। जब अछूत लोग अपना काम करने से मना कर देते हैं, तो समाज से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। अछूत लोगों को उच्च जाति के लोगों के सामने, छाता लगाना और चप्पल पहनना मना है। अछूत लोगों के लिए अलग शमशान बनाया गया है। उनसे कोई अन्य जाति का सदस्य दोस्ती नहीं कर सकता।

वर्तमान युग में छुआछूत के कारण

आज भी हमारे समाज में जाति और जन्म के बीच आज भी भेदभाव किया जाता है। आज भी हम देख सकते हैं, कि गाँव और कस्बों के लोगों में छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। आज के युग में भी, अछूत लोगों को पनघटों और मंदिरों में जाने से रोका जाता है। उनके रहने के लिए, जगह भी अलग दी जाती है। आखिरकार ये कुप्रथा, अब तक किस प्रकार से बनी हुई है? शहरों में जो लोग कूड़ा बीनते हैं, उन लोगों को भी अछूतों की नजर से देखा जाता है। बुराई हिंदू समाज के लोगों में बहुत ही गहराई तक पहुँच गई है, इसी वजह से आजादी के बाद भी, आज तक ये समस्या अलग–अलग तरह से समाज में बनी हुई है। जो लोग छुआछूत में विश्वास रखते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाती है, क्योंकि छुआछूत के खिलाफ कानून बनाए गये हैं। ऐसा करने से, भी छुआछूत की समस्या खत्म नहीं हो रही है। इस प्रथा के अब तक बने रहने का सबसे बड़ा कारण, हमारे देश में उचित शिक्षा का न होना है। जो लोग अछूत समझे जाते हैं, वे लोग आज भी अशिक्षित और रूढ़ग्रस्त होते हैं। उनके पास अभी तक अन्य ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुँचा है। हम लोग प्राय देखते हैं, कि जो हरिजन लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं, वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेते हैं, और उन्हें अछूत नहीं माना जाता है। अछूतों की आर्थिक स्थिति भी, एक प्रकार से छुआछूत की समस्या का, एक बहुत ही मुख्य कारण है।

छुआछूत के दुष्परिणाम

सारे जगत में छुआछूत के **सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दुष्परिणाम** बहुत ही प्रचलित हैं। आज के युग में हमारा देश आगे तो बढ़ रहा है, पर फिर भी छुआछूत की समस्या की वजह से, देश के एक बहुत बड़े भाग को सुख–सुविधाओं से, अभी तक परिचित नहीं कराया गया है। जो हरिजन गाँव में रहते हैं, उनके पास जीवन को जीने के लिए सुविधाएँ बहुत ही कम होती हैं। हमारे देश में गरीबी का एक कारण छुआछूत भी है। जब तक अछूत लोगों को, समाज की मुख्यधारा में स्थान नहीं मिल जाता, तब तक देश का समुचित विकास कभी नहीं हो सकता है। हमारा देश कई साल पहले आजाद हो चुका है, लेकिन **हरिजन वर्ग आज तक राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से, आजाद नहीं हो पाया है।** हम लोगों से समय यह माँग करता है, कि छुआछूत को समाप्त कर दिया जाये। प्राचीनकाल में लोग यह मानते थे, कि अगर अछूत लोग, उन्हें छू लेते या फिर उनकी परछाई भी,

उन पर पड़ जाती थी, तो वे अपवित्र हो जाते थे, और दोबारा से पवित्र होने के लिए, उन्हें गंगा जल से स्नान करना पड़ता था।

सारांश

भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और कई जातियों और धर्मों में विभाजित है। छुआछूत भारत के हिंदू समाज से जुडी हुई, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। **छुआछूत हमारे देश के लिए, एक ऐसी बीमारी है, जो दूसरी समस्याओं को पैदा करती है। छुआछूत दीमक की तरह होती है, जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है।** हमारे देश में अनेक समस्याएँ हैं, लेकिन छुआछूत बहुत ही भयंकर और घातक सिद्ध होने वाली समस्या है। किसी विद्वान् ने कहा था, **कि छुआछूत इंसान और भगवान दोनों के प्रति एक पाप है।** छुआछूत एक ऐसा कलंक है, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। डॉ० भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कि मेरा कोई अपना देश ही नहीं है, जिसे मैं अपना देश कहता हूँ, उस देश में हमारे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है।

आज के युग में भी छुआछूत की समस्या, हमारे लोगों के बीच की दीवार बनी हुई है। आज के समय में भी, कुछ लोग अपने–आप को दूसरों से श्रेष्ठ, उच्च और योग्य समझते हैं। **हरिजन वर्ग के लोगों पर आज भी अत्याचार किया जाता है, उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है।** जब चुनाव होते हैं, तो लोगों को अपने मत को स्वंय चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता है। **आज भी बंधुआ मजदूर के रूप में बहुत से लोग, अमीरों के दास बने हुए हैं।** हमारी सरकार अछूतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। जो लोग अछूत माने जाते हैं, उन्हें भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने चाहिए। जब तक वे शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक उनका सुधार होना असंभव है।

संदर्भ सूची

- महात्मा गाँधी (2008), **"मेरे सपनों का भारत"**, राजपाल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, पेज संख्या 09–17.
- शैयद (2017), **"छुआछूत के विरूद्ध गाँधी की मुहिम"**, वी.के. पब्लिकेशन, फरीदाबाद, हरियाणा, पेज संख्या 56–64.

- बी.आर. अम्बेडकर, (2018) **"जाति का विनाश"**, मार्गेनालिज्ड पब्लिशिंग हाऊस, पेज संख्या 92–97.
- डॉ० प्रदीप आगलावे (2011), **"शूद्रों की खोज"**, सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज संख्या 33–38.
- आचार्य युगल किशोर बौद्ध (2011), **"अछूत कौन और कैसे ?"**,सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज संख्या 19–27.
- धर्माचारी सत्य प्रकाश (2013), **"कॉग्रेस और गाँधी ने अछूतों के लिए क्या किया ?"** सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज संख्या 49–54.
- हेमन्त कुमार शाह (2013), **"हरिजन"** नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, गुजरात, पेज संख्या 11–16.
- डॉ० सुरेन्द्र अजात (2019), **"हिन्दुइज्म का दर्शन"**, सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज संख्या 22–26.
- एस.पी.सिंह (1952) **"मन्दिर–प्रवेश और अस्पृश्यता–निवारण"**, काशी पुस्तक भण्डार, बनारस सिटी, पेज संख्या 72–78.
- महात्मा गाँधी (2009) **"हमारा कलंक : अस्पृश्यता निवारण पर गाँधी के लेखों को संग्रह"**, सस्ता साहित्य मण्डल, अजमेर, पेज संख्या 68–82.

* * * * * * * * * *